एम.पी. स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

पर्यटन भवन, भदभदा रोड, भोपाल

संशोधित विज्ञापन

मानव संसाधन एजेन्सी् चयन हेतु निविदा

क्रमांक 4711/स्था/प्रशा/पविनि/2016 दिनांक 21/04/2016

म.प्र. पर्यटन विकास निगम द्वारा पूर्व में प्रकाशित निविदा क्रमांक 4076 दिनांक 04.04.2016 (मानव संसाधन हेतु) में आंशिक संशोधन किये गये है। संशोधित निविदा निगम की वेब साईट (www.mpstdc.com) से डाउनलोड की जा सकती है। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि को बढाकर 06.05.2016 (पूर्वान्ह 11:00 बजे) तक किया गया है, जिसे उसी दिन 11:30 बजे (पूर्वान्ह) में खोला जावेगा।

प्रबंध संचालक

<u>निविदा प्रपत्र</u>

1. **<u>सामान्य</u>** :- एम.पी. स्टेट टूरिज्म डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल द्वारा प्रदेश व प्रदेश के बाहर संचालित कार्यालयों, इकाईयों, सूचना केन्द्रों में कार्य हेतु समय-समय पर मानव संसाधन की होने वाली आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराने वाली एजेन्सी से निविदा प्रपत्र की शर्तो के अंतर्गत सीलबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। निगम को मानव संसाधन के रूप में अकुशल, अर्द्धकुशल व कुशल व उच्च कुशल श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। जिसकी अनुमाति संख्याक1000 से ज्यादा है।

2. **<u>तकनीकी व वित्तीय योग्यता</u>**

2.1 **कार्यानुभव** :- मानव संसाधन उपलब्ध कराने वाले निविदाकर्ता को इस क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम 03 वर्ष का कार्यानुभव होना अनिवार्य है, जिसकी प्रमाणिकता का प्रमाण पत्र संलग्न करें।

2.2 एजेन्सी द्वारा विगत तीन वर्षो में किसी एक या एक से अधिक संस्थाओ में प्रतिवर्ष कम से कम 100 कर्मचारियों को नियोजित किया गया हो।

2.3 एजेन्सी का गत 03 वर्षो में से किसी एक वर्ष में किसी एक संस्था से मानव संसाधन गतिविधि का वार्षिक एकल अनुबंध रूपये 2.00 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए।

2.4 **<u>विगत 03 वित्तीय वर्षो (2012-13, 2013-14 एवं 2014-15) का प्रति वर्ष का न्यूनतम टर्न-ओवर रूपये 5.00 करोड़ अथवा इससे अधिक होना आवश्यक है। टर्न ओवर के प्रमाण हेतु तीनों वर्ष की आडिटेड बैलेन्स शीट (लाभ-हानि पत्रक सहित) एवं चार्टर्ड अकाउटेन्ट का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बैलेन्स शीट के अभाव में निविदा अमान्य की जावेगी।</u>** बैलेन्स शीट में दर्शायी गई राशि केवल मानव संसाधन के व्यवसाय से संबंधित होनी चाहिए। अन्य व्यवसाय से प्राप्त आय, चाहे गये टर्न ओवर में मान्य नहीं की जावेगी।

2.5 निविदाकर्ता एकल स्वा,मित्वष/साझेदारी फर्म/कम्पमनी अधिनियम में पंजीकृत कम्पपनी हो सकता है।

3. <u>निविदा शुल्क एवं सुरक्षा निधि</u>

3.1 निविदाकर्ता को निविदा शुल्क राशि रू. 5000/- का ड्राफ्ट निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना है, जो वापस नही की जावेगी।

3.2 निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र के साथ रू. 1.00 (एक लाख मात्र) का बैंक ड्राफ्ट सुरक्षा निधि के रूप में जमा कराना होगा। निविदा खुलने के पश्चात् प्रथम एवं द्वितीय निविदाकर्ता को छोडकर शेष निविदाकर्तो का ड्राफ्ट एक माह के अन्दर रजिस्टर्ड डाक से वापिस कर दिया जावेगा।

<u>नोट</u> :- **मांगे गये दोनों ड्राफ्ट राष्ट्रीयकृत बैंक से बनवाया जाना आवश्यक है। ड्राफ्ट "प्रबंध संचालक, एम.पी. स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कार्पोरेशन भोपाल" के पक्ष में देय होगा।**

4. <u>निविदा प्रक्रिया का कार्यक्रम</u>

क्रं.	**गतिविधि**	**दिनांक और समय**
1	संशोधित निविदा दस्तावेज जारी करने की तिथि	21.04.2016
2	निविदा जमा करने कि अंतिम तिथि	06.05.2016, 11:00 AM
3	तकनीकी निविदा खोले जाने की तिथि	06.05.2016, 11:30 AM
4	वित्तीय निविदा खोले जाने की तिथि	बाद में निगम की वेब साईट पर सूचित की जावेगी

5. निविदा प्रपत्र में निम्न दस्तावेज लगाया जाना अनिवार्य है।

क्र.	**दस्तावेज का विवरण**	
1	**संस्था का** पेन कार्ड	
2	सर्विस टैक्स	
3	ई.पी.एफ. प्रमाण पत्र	
4	ई.एस.आई.सी. प्रमाण पत्र	
5	स्थानीय निकाय द्वारा जारी पंजीयन (गुमास्ता)	
6	श्रम विभाग से जारी पंजीयन प्रमाण पत्र	
7	आडिटेड बैलेन्स **शीट**	वर्ष 2012-13 वर्ष 2013-14 वर्ष 2014-15

क्र.	दस्तावेज का विवरण
8	टर्न ओवर प्रमाण पत्र वर्ष 2012-13 (सी.ए. द्वारा प्रमाणित) वर्ष 2013-14 वर्ष 2014-15
9	कार्यानुभव प्रमाण पत्र (विगत **03** वर्षो में उपलब्ध कराये गये मानव संसाधन श्रमिक से संबंधित प्रमाण पत्र जो संबंधित संस्था द्वारा जारी किया गया हो)
10	एजेन्सी द्वारा विगत तीन वर्षो में किसी एक या एक से अधिक संस्थाओं में प्रतिवर्ष कम से कम 100 कर्मचारियों को नियोजित किया गया हो। (सर्टीफिकेट संलग्न करे)
11	एजेन्सी का किसी एक संस्था से मानव संसाधन गतिविधि का वार्षिक एकल अनुबंध रूपये 2.00 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए। (सर्टीफिकेट संलग्न करे)
12	ई.एम.डी. जानकारीः- बैंक ड्राफ्ट क्रमांक/बैंक का नाम/दिनांक
13	निविदा शुल्क के बैंक ड्राफ्ट क्रमांक/बैंक का नाम/दिनांक
14	तकनीकी व वित्तीय योग्यता के संबंध में अन्य प्रपत्र।
15	निविदा प्रपत्र की हस्ताक्षरित प्रति

6. निविदाकारों द्वारा निविदा प्रपत्र (तकनीकी निविदा) समस्त दस्तावेजों सहित एक लिफाफे में रखकर सील बन्द किया जावेगा तथा लिफाफे पर **"तकनीकी निविदा प्रपत्र"** अंकित किया जावे। दूसरे लिफाफे में वित्तीय निविदा प्रपत्र रखा जाकर सील बन्द किया जावे तथा लिफाफे पर **"वित्तीय निविदा प्रपत्र"** अंकित किया जावे। उक्त दोनों लिफाफो को एक बड़े लिफाफे में रखकर सील बन्द किया जाकर जमा किया जावे। सभी लिफाफो पर एजेन्सी का नाम, पता एवं मोबाइल नम्बर लिखा जावे।
7. **<u>चयन प्रक्रिया</u>** :- निविदाकर्ता की तकनीकी व वित्तीय योग्यता का आंकलन निविदा में वर्णित मूल्यांकन शीट में दिये गये विभिन्न मापदण्डों के आधार पर किया जावेगा। विभिन्न मापदण्डों के लिए अलग-अलग अंकों का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार योग्यक पाये गये निविदाकर्ताओं को प्राप्तन अंकों के आधार पर एक मेरिट लिस्टर बनाई जावेगी व मेरिट लिस्टय में अधिकतम अंक प्राप्तम करने वाली प्रथम 03 निविदाओं की वित्तीमय निविदा खोली जावेगी। प्रथम 03 मेरिट स्था न पर यदि एक से अधिक निविदाकर्ताओं को एक समान अंक प्राप्तथ होते है , तो उन सभी की वित्तीसय निविदा खोली जाऐगी।

8. तकनीकी मूल्यांकन के लिए स्कोरिंग शीट

क्र	निविदाकारों द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई जावेगी	मापदंड	अधिकतम अंक	निविदाकर्ताओं को प्राप्त अंक	कार्यालय उपयोग हेतु
1	कार्यानुभव प्रमाण पत्र।	न्यूनतम 03 वर्ष से 05 वर्ष तक-10 अंक 5 वर्ष से ज्या दा10 वर्ष तक -15 अंक 10 वर्ष से ज्यादा -20 अंक	20		
2	विगत 03 वर्षो में किसी एक या एक से अधिक संस्थाअओं में प्रतिवर्ष नियोजित कर्मचारियों की संख्यार	100 से 1000 कर्मचारियों तक - 10 अंक 1000 से ज्यादा 2000 तक -15 अंक 2000 से ज्यादा -20 अंक	20		
3	गत 03 वर्षो में से किसी एक वर्ष में वार्षिक एकल अनुबंध	रू. 2 करोड से रू. 5 करोड तक - 10 अंक रू. 5 करोड से ज्यादा रू.10 करोड तक - 15 अंक रू. 10 करोड से ज्यादा -20 अंक	20		
4	पिछले 3 साल का टर्नओवर	प्रत्येक वर्ष का रू.5 करोड से रू.10 करोड तक-10 अंक प्रत्येक वर्ष रू. 10 करोड से ज्यादा रू.15 करोड तक- 15 अंक प्रत्येक वर्ष रू.15 करोड से ज्यादा -20 अंक	20		
5	स्वादमित्वष	पंजीकृत कंपनी - 20 अंक पंजीकृत साझेदारी फर्म -15 अंक एकल स्वा मित्वड - 10 अंक	20		
		कुल अंक	**100**		

9. प्राप्त निविदा पत्रों को किसी भी स्टेज पर मान्य/अमान्य करने अथवा निविदा निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार निगम के प्रबंध संचालक को होगा।
10. सफल निविदाकर्ता से सुरक्षा निधि के रूप में रू. 100.00 लाख (सौ लाख मात्र) की बैंक गारंटी ली जावेगी, जिसकी वैद्यता अवधि अनुबंध समाप्ति के एक वर्ष बाद तक की होना अनिवार्य होगी।
11. यदि श्रमिकों के द्वारा निगम की चल/अचल सम्पत्ति को क्षति पहुंचाई जाती है या चोरी आदि की जाती है, तो उसकी क्षतिपूर्ति एजेन्सी को करनी होगी।
12. सभी श्रमिकों के सी.पी.एफ./ई.एस.आई. आदि का हिसाब रखने की पूर्ण जिम्मेदारी एजेन्सी की होगी।
13. प्रत्येक श्रमिक को प्रतिमाह वेतन स्लिप अनिवार्य रूप से देना होगा।
14. सफल निविदाकर्ता के साथ मानव संसाधन उपलब्ध कराने हेतु अनुबंध किया जावेगा। दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर अनुबंध अवधि में वृद्धि की जा सकेगी।
15. यदि एजेन्सी द्वारा निगम को उपलब्ध कराये गये श्रमिक एवं नियोक्ता के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व एजेन्सी का होगा। एम.पी. स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल की कोई जवाबदारी नहीं होगी।
16. उपलब्ध कराये गये श्रमिकों के नियोजन की पूर्ण जिम्मेदारी एजेन्सी की होगी तथा श्रमिकों के किसी भी प्रकार के दावे, नियोजन, नियमितीकरण की जिम्मेदारी एम.पी. स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल की नहीं होगी।
17. एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गये मानव संसाधन के संबंध में श्रम नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। श्रम नियमों के पालन न करने के फलस्वरूप यदि श्रम विभाग द्वारा कोई वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, तो इसके लिये संबंधित एजेन्सी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगी।

18.एजेंसी द्वारा उपलब्ध किये गये मानव संसाधन श्रमिक के संबंध में यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि एजेंसी श्रमिकों का कोई रिश्तेरदार/नातेदार निगम में नियमित कर्मचारी ना हो। एजेन्सीव को प्रत्यैक श्रमिक से इस बावत् घोषणा पत्र प्राप्तन कर उपलब्धय कराना होगा। रिश्तेादार से तात्पोर्य आयकर अधिनियम की धारा 56 में वर्णित रिश्तेनदार की परिभाषा से है जिसमे निम्नर सम्मिलित है :-

I. श्रमिक का पति/की पत्नी
II. श्रमिक का भाई या बहन
III. श्रमिक के पति/की पत्नी का भाई या बहन
IV. श्रमिक के माता-पिता मे से किसी का भाई या बहन
V. श्रमिक का कोई पारम्पिरक पूर्व पुरूष या वंशज
VI. श्रमिक के पति/की पत्नीर का कोई पारम्पिरक पूर्व पुरूष या वंशज
VII. उपरोक्तI से VI तक में वर्णित व्यशक्ति का पति/की पत्नीआ

19.सफल निविदाकर्ता का अपने सभी श्रमिकों को परिचय-पत्र (आई कार्ड) देना अनिवार्य होगा तथा परिचय पत्र की छायाप्रति निगम को 15 दिवस के अन्दर उपलब्ध कराना होगा।

20.एजेन्सी द्वारा प्रत्येक श्रमिक को वर्दी प्रदाय की जावेगी। जिसका कपड़ा, रंग, सिलाई, जूता, मोजा आदि के संबंध में अनुमोदन निगम से लेना होगा, तथा इस पर होने वाला व्यय निगम द्वारा वहन किया जावेगा।

21.श्रमिकों की समस्याओं के निराकरण एवं उन पर नियंत्रण रखने हेतु संबंधित एजेन्सी के द्वारा एक-एक सुपरवाइजर, निगम मुख्यारलय भोपाल, क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर/इन्दौर /ग्वालियर/पचमढ़ी एवं खजुराहों में उपलब्ध कराना होगा।

22.मानव संसाधन के पारिश्रमिक का भुगतान एजेन्सी द्वारा NEFT/RTGS/अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से किया जावेगा एवं चैक/ड्राफ्ट से भुगतान उसी स्थिति में किया जावेगा जहां यह सुविधा उपलब्ध नही है। नकद भुगतान किसी भी स्थिति में नही किया जावेगा।

23.सफल प्रथम निविदाकर्ता को लेटर ऑफ इन्टेहन्ट(LOI) जारी करने के 07 दिवस के अन्दर अनुबंध निष्पादित कर 15 दिवस में अनुबंध निष्पादित

तिथि से श्रमिक उपलब्ध कराने होंगें अन्यथा उनका अधिकार समाप्त कर दिया जावेगा, तथा सुरक्षा निधि राजसात कर ली जावेगी। निष्पादित किये जाने वाले अनुबंध का प्रारूप संलग्न है। संलग्न अनुबंध के प्रारूप में निष्पादन से पूर्व दोनों पक्षकारों की सहमति आवश्यकतानुसार संसोधन किया जा सकेगा।

24.प्रथम निविदाकर्ता द्वारा श्रमिक उपलब्ध करवा दिये जाते हैं, तो द्वितीय/तृतीय निविदाकर्ता को सुरक्षानिधि का बैंक ड्राफ्ट दो माह के अन्दर वापिस लौटा दिया जावेगा तथा शेष अन्य निविदाकर्ताओं के ड्राफ्ट वित्तीय निविदा की तिथि के बाद 15 दिवस के अंदर लौटा दिये जाएँगे। विशेष परिस्थितियों में समयावधि में वृद्धि करने का अधिकार निगम के प्रबंध संचालक को होगा।

25.यदि प्रथम निविदाकर्ता द्वारा लेटर ऑफ इन्टेेन्टं (LOI) जारी करने के उपरांत अनुबंध हस्तामक्षरित करने में अथवा अनुबंध निष्पादित करने के पश्चातत15 दिवस की समय सीमा में सुरक्षानिधि की बैंक गारंटी या मानव संसाधन उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त की जाती है, तो उसकी सुरक्षानिधि का बैंक ड्राफ्ट एवं EMD राजसात करते हुए द्वितीय सफल निविदाकर्ता को अवसर दिया जावेगा कि वे प्रथम निविदाकर्ता की दर पर सेवा उपलब्ध कराये।

26.मानव संसाधन श्रमिकों के कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम एवं श्रम कल्याण मंडल के अभिदाय के नियोक्ता एवं श्रमिकों के अंशदान की राशि का भुगतान एवं अन्य वैधानिक प्रावधानों का पालन संबंधित मानव संसाधन एजेन्सी को ही करना होगा। भुगतान की गई राशि का चालान प्रतिमाह देयक के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिस के आधार पर निगम द्वारा देयक पारित कर भुगतान किया जावेगा। चालान संलग्न न होने पर देयक का भुगतान नहीं किया जावेगा।

27.संबंधित एजेन्सी द्वारा सर्विस टैक्स की राशि जमा करवा कर चालान की छायाप्रति निगम को उपलब्ध कराई जावेगी। ततपश्चाातनिगम द्वारा नियमानुसार सर्विस टैक्स का भुगतान संबंधित एजेन्सी को किया जावेगा।

28. सफल निविदाकर्ता को कार्यादेश प्राप्त होने के एक माह के अन्दर-अन्दर प्रपत्र-5 प्राप्त कर संबंधित जिलों के श्रम कार्यालय में पंजीयन करवाकर (श्रमिक उपलब्ध कराने का व्यवसाय करने का) प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

29. मानव संसाधन (श्रमिकों) को श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित न्यूनतम परिश्रमिक का भुगतान किया जावेगा। विशेष परिस्थितियों में जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक से अधिक पारिश्रमिक का भुगतान निगम की पूर्वानुमति से किया जावेगा।

30. सफल निविदाकर्ता को निगम की शर्तो एवं संलग्न अनुबंध प्रारूप के अनुसार रू.1000/- के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा।

31. एजेन्सी द्वारा संबंधित मानव संसाधन के बायोडाटा संबंधी जानकारी रखनी होगी तथा उसकी एक प्रति निगम को भी 15 दिवस कि समय-सीमा में उपलब्ध करानी होगी।

32. एजेन्सी द्वारा सभी मानव संसाधन को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक वेतन का भुगतान करना अनिवार्य होगा। वेतन भुगतान उपरांत देयक तैयार कर माह की 15 तारीख तक निगम के कार्यालय में देयक प्रस्तुत करना होगा। तत्पश्चा त देयक प्रस्तुत करने की दिनांक से 10 कार्य दिवस में देयक का भुगतान निगम द्वारा संबंधित एजेन्सी को किया जावेगा।

33. एजेन्सी द्वारा प्रत्येक श्रमिक के पारिश्रमिक का भुगतान माह की 7 तारीख तक करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि तक पारिश्रमिक का भुगतान एजेन्सी द्वारा न किये जाने पर रू. 200/- प्रतिमाह प्रति श्रमिक की दर से एजेन्सी से दण्ड स्वरूप वसूल किया जा सकेगा।

34. एजेन्सी द्वारा प्रत्येक कार्यालय/ईकाई पर एक उपस्थिति पंजी रखी जावेगी जिसमें दर्ज उपस्थिति के आधार पर श्रमिकों को भुगतान किया जावेगा। उपस्थिति पंजी की एक प्रति देयक के साथ लगाई जावेगी जो संबंधित इकाई प्रबंधक/कार्यालय प्रभारी द्वारा प्रमाणित होगी, जिसके आधार पर पारिश्रमिक का भुगतान निगम द्वारा किया जावेगा।

35. निविदाकर्ता एवं एम.पी. स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल के मध्य किसी भी प्रकार के विवाद होने पर सचिव, पर्यटन, म.प्र. शासन का निर्णय अंतिम होगा जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।

36. दोनों पक्षों में किसी प्रकार के न्यायालयीन विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र भोपाल होगा।

महाप्रबंधक (प्रशासन)

अनुसूची-1

निविदा प्रपत्र का मूल्य रू. 5000/-

एम.पी. स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड,

पर्यटन भवन, भदभदा रोड़, भोपाल

<u>तकनीकी निविदा प्रपत्र</u>

निविदा क्रमांक ....   दिनांक ....

प्रति,

प्रबंध संचालक,
एम.पी. स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
पर्यटन भवन, भदभदा रोड़,
भोपाल (म.प्र.)

क्र.	विवरण	रिमार्क
1	निविदकर्ता का नाम	
2	अधिकृत व्यक्ति का नाम	
3	पता एवं फोन नं0	
4	ई-मेल आई.डी.	
5	स्थापना वर्ष	
6	फर्म की स्थिति (प्राइवेट लिमिटेड कंपनी/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी/साझेदारी फर्म/एकल स्वामित्व)	
7	निदेशक/साझेदार/स्वामी का नाम	
8	कंपनी/फर्म का पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करे)	
9	सर्विस टैक्स क्रमांक एवं जारी दिनांक, सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करे।	
10	पेन कार्ड नम्बर प्रति एवं अंतिम इनकम टैक्स रिटर्न की प्रति संलग्न करे	
11	ई.पी.एफ. प्रमाण पत्र	
12	ई.एस.आई.सी. प्रमाण पत्र	
13	स्थानीय निकाय द्वारा जारी पंजीयन (गुमास्ता)	
14	श्रम विभाग से जारी पंजीयन प्रमाण पत्र	

क्र.	विवरण	रिमार्क
15	बैंकर्स के नाम एवं पता	
16	कार्यानुभव प्रमाण पत्र (विगत 2 वर्षो में किसी संस्था में उपलब्ध कराये मानव संसाधन श्रमिक से संबंधित संस्था से जारी किए गए प्रमाण पत्र)	
17	टर्न ओवर प्रमाण पत्र (सी.ए. द्वारा प्रमाणित)	
18	बैलेन्स शीट की प्रति	(वर्ष 2012-13) (वर्ष 2013-14) (वर्ष 2014-15)
19	एजेन्सी द्वारा विगत तीन वर्षो में किसी एक या एक से अधिक संस्थाओं में कम से कम 100 कर्मचारियों को नियोजित किया गया हो। (सर्टीफिकेट संलग्न करे)	
20	एजेंसी द्वारा कम से कम तीन संस्थाओं में कार्यादेश प्राप्त किये गये हों। (सर्टीफिकेट संलग्न करे)	
21	एजेन्सी का गत 03 वर्षो में से किसी एक वर्ष में किसी एक संस्था से वार्षिक एकल अनुबंध रूपये 2.00 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए। (सर्टीफिकेट संलग्न करे)	
22	ई.एम.डी. जानकारीः- बैंक ड्राफ्ट क्रमांक.........दिनांक.............. बैंक नाम....................................	
23	निविदा शुल्क के बैंक ड्राफ्ट क्रमांक.................दिनांक................ बैंक का नाम............................	
24	तकनीकि व वित्तीय योग्यता के संबंध में अन्य प्रपत्र।	
25	निविदा प्रपत्र की हस्ताक्षरित प्रति	
26	अन्य जानकारी	

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
एवं सील

<u>घोषणा</u>

1. मेरे द्वारा घोषण की जाती है कि मैं निविदा की समस्त नियम-शर्तो से पूर्णतः सहमत हूँ। मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्ण सत्य है। यदि जानकारी असत्य पाई जाती है तो निगम द्वारा नियमानुसार मेरे विरूद्ध कोई भी कार्यवाही की जा सकती है।
2. म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा योग्य एजेंसी के चयन संबंध में लिया गया निर्णय मुझे/हमे मान्य होगा तथा मैं/हम इसे मानने के लिए पूर्णतः बाध्य होगें।
3. मेरे/हमारे द्वारा दी गयी जानकारी मेरे निजी ज्ञान और विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य है।
4. मेरे/हमारे प्रत्येक कार्य अथवा संलग्न पत्रकों के विषय में कोई जांच की जाती है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नही होगी।

स्थान :-
दिनांक :-

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
एवं सील

<u>संलग्न दस्तावेजों की सूची पेज नम्बर के साथ</u>

क्र.	दस्तावेज का विवरण	प्रमाण पत्र क्र.	दिनांक	जारीकर्ता अधिकारी एवं कार्यालय का नाम
1	पेन कार्ड			
2	सर्विस टैक्स			
3	ई.पी.एफ. प्रमाण पत्र			
4	ई.एस.आई.सी. प्रमाण पत्र			
5	स्थानीय निकाय द्वारा जारी पंजीयन (गुमास्ता)			
6	श्रम विभाग से जारी पंजीयन प्रमाण पत्र			
7	आडिटेड बैलेन्स सीट			
	वर्ष 2012-13			
	वर्ष 2013-14			
	वर्ष 2014-15			
8	टर्न ओवर प्रमाण पत्र (सी.ए. द्वारा प्रमाणित)			
	वर्ष 2012-13			
	वर्ष 2013-14			
	वर्ष 2014-15			
9	कार्यानुभव प्रमाण पत्र (विगत 02 वर्षो में उपलब्ध कराये गये मानव संसाधन श्रमिक से संबंधित प्रमाण पत्र)			
10	एजेन्सी द्वारा विगत तीन वर्षो में किसी एक या एक से अधिक संस्थाओं में कम से कम 100 कर्मचारियों को नियोजित किया गया हो। (सर्टिफिकेट संलग्न करे)			
11	एजेंसी द्वारा कम से कम तीन संस्थाओं में कार्यादेश प्राप्त किये गये हों। (सर्टिफिकेट संलग्न करे)			
12	एजेन्सी का गत 03 वर्षो में से किसी एक वर्ष में किसी एक संस्था से वार्षिक एकल अनुबंध रूपये 2.00 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए। (सर्टीफिकेट संलग्न करे)			

क्र.	दस्तावेज का विवरण	प्रमाण पत्र क्र.	दिनांक	जारीकर्ता अधिकारी एवं कार्यालय का नाम
13	ई.एम.डी. जानकारीः- बैंक ड्राफ्ट क्रमांक/बैंक नाम/दिनांक			
14	निविदा शुल्क के बैंक ड्राफ्ट क्रमांक........बैंक का नाम			
15	तकनीकि व वित्तीय योग्यता के संबंध में अन्य प्रपत्र।			
16	निविदा प्रपत्र की हस्ताक्षरित प्रति			

अनुसूची-2

एम.पी. स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
पर्यटन भवन, भदभदा रोड़, भोपाल

<u>वित्तीय निविदा प्रपत्र</u>

निविदा क्रमांक .... दिनांक ....

प्रति,

प्रबंध संचालक,
एम.पी. स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
पर्यटन भवन, भदभदा रोड़,
भोपाल (म.प्र.)

1. निविदाकर्ता संस्था का नाम:..
2. पता (अ) पंजीकृत कार्यालय :..
   ....
   ....पिन नं. : ....
   (ब) निवास का पता :..
   ....
   ....पिन नं. : ....
   (स) ई-मेल आई.डी. ....
3. दूरभाष क्रमांक (निवास) .... (कार्या.) ....
   मोबाईल ....
4. मानव संसाधन (श्रमिक) उपलब्ध कराने हेतु निगम से लिया जाने वाले शुल्कल्की राशि
   .... शब्दों................................(प्रति व्यक्ति/प्रतिमाह)

<u>घोषणा</u>

निविदा क्रमांक ... दिनांक ..... में उल्लेखित/निर्दिष्ट सभी नियम एवं शर्ते मान्य है, तथा मेरे/ हमारे द्वारा दी गई समस्त जानकारी पूर्ण रूप से सत्य है। किसी भी असत्य जानकारी के लिए मैं/हम पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
एवं सील